न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

पृ.सं. - 2

अनवान : –

1. भानुप्रताप पुत्र परमानन्द नाबालिग जरिये कुदरती बली माता मनीषा पत्नी परमानन्द जाति सुथार निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. लालचन्द पुत्र रामेश्वर जाति सुथर निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायल**

निर्णय **दिनांक:** 17/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सायल व गैरसायलान की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 22 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के के खाता संख्या 90/93 के कुल खसरे 96 की कुल तादादी 19.2280 है० भूमि में से 8013/192320 हिस्सा भूमि एवं खाता संख्या 60/62 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 4.5540 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 खाता संख्या 76/66 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 13.8480 है० भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि सायल की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें सायल का जन्मजात ठल ठपतजी त्पहीज हक हिस्सा है। कर्ता हिन्दुखानदान होने के कारण से उपरोक्त भूमि गैरसायल संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त सभी खातों की भूमि में गैरसायल संख्या 1, 2. 4 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा, सायल व गैरसायल संख्या 3 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के काश्तकार है। वाद भूमि गैरसायलान के नाम बतौरकर्ता हिन्दु परिवार गलत दर्ज होने से सायल को उसके हक व हिस्सा से महरूम करना चाहते है तथा गैरसायल उक्त वाद भूमि को रहन, बैय करना चाहते है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 15:58:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने प[illegible] मौजा 22 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–20[illegible] के [illegible] 90/93 के कुल [illegible] 96 की कुल तादादी 19.2280 है० भूमि में से 8013/192320 हि[illegible] भूमि एवं खाता सं[illegible]/62 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 4.5540 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सरदारपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 76/66 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 13.8480 है० भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की वाद भूमि रामेश्वरलाल जो उतरदाता का पिता है कि पैदा कर्दा भूमि है रामेश्वरला की दोनों चको में लगभग 42 बीघा 6 बिस्वा भूमि थी जिसमें उतरदाता का केवल 10 बीघा 6 बिस्वा बनता है तथा शेष 10 बीघा 11 बिस्वा भूमि के रामप्यारी व 10 बीघा 11 बिस्वा भूमि के प्रहलाद व सरबती 10 बीघा 11 बिस्वा भूमि के खातेदार काश्तार हुऐ इसलिए यदि वाद सायल करता है तो अपना हक 10 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर ही कर सकता था तथा प्रेम कुमार का 2 बीघा 10–1/2 बिस्वा भूमि, परमानन्द का का 2 बीघा 10–1/2 बिस्वा भूमि, किरण का 2 बीघा 10–1/2 बिस्वा भूमि हिस्सा है इसलिए वादी केवल 10 बीघा 11 बिस्वा भूमि का ही दावा व दरख्वास्त पेश कर सकता है। इसलिए अस्थायी निषेधाज्ञा जजौरी करने से उतरदातागण को अपूर्णीय क्षति होती है दरख्वास्त काबिल खारीजी के है। वादी की माता अपने पिहर पक्ष के प्रभाव में है उतरदाता व उसके परिवार को हर प्रकार से तंग व परेशान करके अदालतो में चक्कर करवा रही है व भूमि पर कब्ज करने की धमकीया भी देती है यदि ऐसा हो गया तो उतरदाता को अपूर्णीय क्षति होगी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैः–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है एवं पूर्व में अप्रार्थी स0 1 के पिता व प्रार्थी के दादा रामेश्वरलाल के नाम दर्ज रही है और उनके बाद सायल के पिता यानि की अप्रार्थी संख्या 1 नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। वादग्रस्त भूमि पैतृक है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को [illegible] सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है [illegible] में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 15:58:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

2. सुविधा का सन्तुलन– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 विवादित अराजी का काश्तकार है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है।। प्रार्थीगण का अप्रार्थी0 1 के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को बैय की जाती है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थी का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा 22 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के के खाता संख्या 90/93 के कुल खसरे 96 की कुल तादादी 19.2280 है० भूमि में से 8013/192320 हिस्सा भूमि एवं खाता संख्या 60/62 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 4.5540 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 76/66 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 13.8480 है० भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि में प्रार्थी के हक व हिस्से की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 17/10/25 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 15:58:40 IST
Reason: SelfAttested